प्रपत्र

चल/अचल सम्पति का विवरण वर्ष ..... दिसम्बर, ... की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा नाम) तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो .....
2. वर्तमान धारित पद ..... शासकीय महाविद्यालय का नाम .....
3. वर्तमान वेंतन ..... अगली वेंतन वृद्धि का तारीख .....

क्र.	उस जिले उप संभाग तह. तथा ग्रमा का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हों	सम्पत्ति का नाम ब्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतालाईये कि वह किसके नाम पर आधारित और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, बिरासत या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन का तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौंरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

जहॉ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामले में जहॉ सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहा वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :– छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (आचरण) 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी ,द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह आपेक्षित है कि वह पहली नियुक्ति से समय और बाद में प्रत्येक बारह महीने के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौंरे दें।

शासकीय सेवक का हस्ताक्षर